न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 55/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. जगदीश सिंह उर्फ भरतसिंह पुत्र पोकरसिंह		1. हेमसिंह पुत्र तेजसिंह
2. गोपालसिंह उर्फ गोपसिंह पुत्र पोकरसिंह		2. भूरी देवी पत्नी लक्ष्मणसिह
3— पोकरसिंह पुत्र रणजीत सिंह		3. ओमसिंह पुत्र रणजीतसिंह
4. आईचुकी उर्फ सुखीदेवी पत्नी पोकरसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीगण चाडवास तहसील सोजत पाली राज0		4. दिनेश पुत्र ओमसिंह
		5. मुकेश पुत्र ओमसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीगण चाडवास, तहसील सोजत जिला पाली
		6—तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 114, 151 व 152 सी0पी0सी0

उपस्थितिः—

1. श्री अर्जूनसिंह राजपूरोहित, अधिवक्ता, प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री गोरादान आशिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण सं0 1 एवं श्री नवनीत गहलोत अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 06.08.2019

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 114, 151 व 152 सी0पी0सी0 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा पांचवा कलां तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में वर्तमान खाता संख्या 375 रकबा 4.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 376 रकबा 2.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 377 रकबा 1.4900 हैक्टर, खसरा संख्या 461 रकबा 3.1000 हैक्टर, खसरा संख्या 462 रकबा 1.1200 हैक्अर कुल किता खसरा 05 कुल रकबा 11.8900 हैक्टर की कृषि भूमि किस्म बारानी अव्वल स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 वादस्थ कृषि भूमि में 1/8 वें हिस्से के खातेदार काश्तकार है, तथा प्रार्थी संख्या 3 पोकरसिंह 1/8 व 1/12 हिस्से के खातेदार, काश्तकार है। अर्थात् प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से वादस्थ कृषि भूमि में 11/24 वां हिस्सा खातेदारी का आता है। वादस्थ कृषि भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सुविधानुसार काबिज है व काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 03.06.2016 को वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाड़े का दावा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया, जो दावा हाजा न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 59/2016 दर्ज हुआ तथा सभी पक्षकारों को समन द्वारा इतला दी गई। उक्त इतला के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगणों को बताया कि उक्त वाद बंटवाड़े का ही है, जिसमें हम सभी पक्षकारों का मौके व हिस्से के अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हो जायेगा। हमें अपनी हिस्से की कृषि

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

भूमि ही अलग करवानी है तथा हमारे साथ साथ आपके भी हिस्से की अलग अलग भूमि खाते में दर्ज हो जायेगी। जिस पर प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई तथा श्रीमान द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार सोजत को भिजवाई जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मंगवाया जाने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.01.2017 को अपने पटवार हल्का में ही बैठ कर मौका फर्द बंटवाड़ा रिपोर्ट बनाई गई। उक्त रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा गेर.मु.रास्ते की भूमि 0.1200 हैक्टर को सामलाती रूप में दर्शित किया है। तत्पश्चात वादी (अप्रार्थी संख्या 1) हेमसिंह पुत्र तेजसिंह के 1/4 हिस्से के अनुसार 2.9425 हैक्टर की कृषि भूमि होने के बावजूद हेमसिंह पुत्र तेजसिंह के खाते में 3.0600 हैक्टर भूमि बताई तथा ओमसिंह पुत्र रणजीतसिंह अप्रार्थी संख्या 3 का 1/8 व अप्रार्थी संख्या 4 दिनेश व अप्रार्थी संख्या 5 मुकेश का 1/12 वा हिस्से के अनुसार 2.4500 हैक्टर भूमि होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 3, 4 व 5 का संयुक्त 2.4000 हैक्टर बताया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 भूरी देवी पत्नी लक्ष्मण का हिस्सा रेकर्ड अनुसार 1/12 वां हिस्सा के अनुसार 0.9800 हैक्टर आता है। इसी प्रकार पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से 1/8, 1/8, 1/8, 1/12 हिस्सा कुल 11/24 वे हिस्से को संयुक्त रूप से बताते हुए 5.3400 हैक्टर का रकबा बताया है, जो गलत है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा है। जिसके अनुसार 1.4712 हैक्टर हिस्से की भूमि बनती है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 4 का 1/8 हिस्से के अनुसार 1.4712 हैक्टर हिस्से की भूमि बनती है व प्रार्थी संख्या 3 पोकरसिंह का 1/8 व 1/12 वां हिस्से के अनुसार 2.4515 हैक्टर भूमि बनती है अर्थात् प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 11/24 हिस्से के अनुसार 5.3939 हैक्टर भूमि बनती है। पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी जांच किये व बिना किसी मौके पर पहुंचकर उक्त रिपोर्ट पटवार हल्का में बैठ कर ही बनाई है तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने या पटवार हल्का में उपस्थित रहने को कोई किसी प्रकार नोटिस नही दिया है न ही पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की इतला दी गई। पटवारी हल्का द्वारा वादी से मिलीभगत करते हुए द्वेषपूर्ण तरीके से व षडयंत्र रचते हुए रिपोर्ट बनाई है, जो गलत है तथा उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई है न ही तहसीलदार द्वारा बनाई गई। जबकि माफिक बंटवाड़ा नियमों के अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार के निर्देशानुसार उनकी उपस्थिति में मौके पर सभी पक्षकारों की उपस्थिति का नोटिस देकर सभी पक्षकारों के रूबरू रिपोर्ट बना कर मौका स्थिति रिपोर्ट बनाई जाती है। जबकि इस प्रकरण में ऐसे किसी नियम की पालना नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है वह पूर्ण रूप से गलत है। उक्त गलत रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत होने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा सरसरी दृष्टि से रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा उक्त पटवारी रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम डिक्री पारित कर दी, जो डिक्री आंशिक रूप से गलत है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अन्तिम डिक्री जारी करते वक्त भूल हो चूकी है, जिससे डिक्री संशोधन किये जाने योग्य है। दिनांक 11.04.2017 की अन्तिम डिक्री के पश्चात अप्रार्थीगण पटवारी हल्का से मिलकर गलत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार रास्ते एवं प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने पर आतुर है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहता है तथा प्रार्थी के हिस्से में खड़े सीमेंट के खम्भे व तारबंदी को हटा कर नीचे गिरा दिया तथा मौके पर वाद विवाद करने लग गये। मरने मारने पर उतारू हो गये। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को वादस्थ कृषि भूमि में से अपने 1/4 हिस्से की भूमि से अत्याधिक भूमि पर कब्जा नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद्ध करवाना आवश्यक है। दिनांक 03.07.2019 को प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की अवेराई करने हेतु गये, तब अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर वाद–विवाद करने लग गया, तथा प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि बताने लगा, तब प्रार्थीगण ने दिनांक 03.07.2019 को ही श्रीमान के समक्ष नकल हेतु अवेदन किया, तथा प्रार्थी को दिनांक 03.07.2019 को नकले प्राप्त होने पर प्रार्थी को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से से ज्यादा भूमि अपने नाम करवा दी, जिसका उसे कोई

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 का राजस्व रेकर्ड अनुसार 1/4 हिस्सा खातेदारी का बनता है। प्रार्थी व अप्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु सामलाती रूप से सभी पक्षकारों में से भमि काट कर 0.1200 हैक्टर की कृषि भूमि को रास्ते हेतु रखा गया है। उक्त मूल रकबा 11.8900 हैक्टर भूमि में से 0.1200 हैक्टर किस्म रास्ता कम करने पर रकबा 11.7700 हैक्टर भूमि बचती है। जिसमें से अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्से के अनुसार 2.9425 हैक्टर भूमि बनती है। परन्तु पटवारी हल्का से मिलीभगत करके गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करके अप्रार्थी संख्या 1 ने 3.0600 हैक्टर भूमि अपने नाम से गलत रूप से दर्ज करवा दी है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि 2.9425 हैक्टर भूमि का ही मालिक है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 13.07.2019 को प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए प्रार्थीगण के खातेदारी के चारो तरफ लगाई गई, तारबंदी को उखाड़ दिया तथा प्रार्थीगण के खेत में लगे हुए सीमेंट के खम्भे को नीचे गिरा दिया व रास्ते की छोड़ी गई भूमि 0.1200 हैक्टर की भूमि में भी खड़ाई कर दी है, जो निहायत ही गलत है। स्थगन हेतु अलग से प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। इस प्रकार प्रा0 पत्र 09 रूल्स 13 एवं 047 नियम 1 सपठित धारा 114, 151 व 152 सीपीसी मय शपथ–पत्र तथा स्थगन प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश कर प्रार्थी के विरूद्ध जारी एक पक्षीय डिक्री को निरस्त फरमाया जाकर पटवारी हल्का चाडवास द्वारा दिनांक 02.01.2017 को प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट/प्रस्तावित बंटवाड़ा को निरस्त किया जावे व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सोजत को निर्देश दिये जावे कि मौके एवं हिस्से अनुसार बाई मिटस बाउण्डस बंटवाड़ा की नई रिपोर्ट प्रस्तुत करे। विकल्पेन खसरा नम्बर 375, 376, 377, 461, 462 रकबा 11.8900 हैक्टर कृषि भूमि में से रास्ते हेतु 0.1200 हैक्टर भूमि को बाद (घटाते) करते हुए शेष रकबा 11.7700 हैक्टर में से प्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/8 हिस्से अनुसार 1.4712 हैक्टर प्रार्थी संख्या 3 का 1/8 व 1/12 हिस्से अनुसार 2.4520 हैक्टर, प्रार्थी सख्या 4 आईचुकी उर्फ सुखी देवी का 1/8 हिस्सा अनुसार 1.4712 हैक्टर कुल 5.3944 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के नाम की दर्ज की जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 हेमसिंह का 1/4 हिस्सा के अनुसार 2.9425 हैक्टर, अप्रार्थी संख्या 2 भूरी का 1/12 हिस्सा के अनुसार 0.9808 हैक्टर, अप्रार्थी सख्या 3 ओमसिंह का 1/8 हिस्सा के अनुसार 1.4712 हैक्टर एवं अप्रार्थी संख्या 4 दिनेश एवं 5 मुकेश का संयुक्त 1/12 हिस्सा के अनुसार 0.9808 हैक्टर भूमि दर्ज किये जाने की संशोधित डिक्री जारी किये जाने की की ईश्तदुआ की है। उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न स्थगन प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत पेश कर उक्त विवादित भूमि खसरा संख्या 375, 376, 377, 461, 462 कुल रकबा 11.8900 हैक्टर में से रास्ते हेतु छोड़ी गई 0.1200 हैक्टर की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे तथा प्रार्थीगण की 11/24 वें हिस्से में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं न ही अपने नौकर एजेण्टो के मार्फत करावे अर्थात् रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश फरमाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी एवं आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 114, 151 एवं 152 सीपीसी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। श्री गोरादान आशिया अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 की ओर से श्री नवनीत गहलोत ने वकालत नामा पेश किया, सामिल मिसल किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 06 को बावजूद तामिली/सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 06.08.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 एवं 2 से 5 ने उक्त प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी एवं आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 114, 151 एवं 152 सीपीसी का स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नही की है अर्थात् प्रार्थना पत्र में नो ऑब्जेक्शन अंकित किया

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने हस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी एवं आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 114, 151

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

एवं 152 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार किये जाने, न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2017 (राजस्व वाद संख्या 59/2016 हेमसिंह बनाम जगदीशसिह वगैरह में पारित) को अपास्त किये जाने तथा संशोधित विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तहसीलदार सोजत से मंगवाया जाकर पुनः सही एवं दुरूस्त रूप से संशोधित निर्णय व डिक्री उक्त मूल वाद में पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसमें अधिवक्ता प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 से 5 में नो ऑब्जेक्शन अर्थात् स्वीकृति दी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्रों एवं दस्तावेजात, उक्त मूल राजस्व वाद पत्रावली में प्रस्तुत पूर्व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री पर्चा दिनांक 11.04.2017 की पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी एवं आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 114, 151 एवं 152 सीपीसी तथा स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्थितियों/परिस्थितियों/दस्तावेजात के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना, एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2017 को set-aside किया जाकर अपास्त किया जाना तथा नये सिरे से उक्त मूल वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सोजत से पुनः संशोधित विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु लिखा जाकर संशोधित डिक्री जारी किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी एवं आदेश 47 नियम 01 सपठित धारा 114, 151 एवं 152 सीपीसी तथा स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्थितियों/परिस्थितियों/दस्तावेजात के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः उक्त मूल वाद में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2017 को set-aside किया जाकर अपास्त किया जाता है। आदेश दिया जाता हैं कि नये सिरे से उक्त मूल वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार सोजत को पुनः संशोधित विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु लिखा जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। प्रार्थना पत्र पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। वाद तकमील जाब्ता मूल वाद संख्या 59/2016 हेमसिंह बनाम जगदीशसिह वगैरह के साथ नथी हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner